क्रम-संख्या-155 (क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 अगस्त, 2012

श्रावण 12, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सतर्कता अनुभाग–4

संख्या 1679/39–4-2012-21-05

लखनऊ, 3 अगस्त, 2012

अधिसूचना

प० आ०–488

चूंकि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अभिकरण उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 42, सन् 1975) के अधीन गठित एक संगठन है और उत्तर प्रदेश सरकार के सतर्कता विभाग का एक ऐसा अंग है जो लोक सेवकों के विरूद्ध परिवादों को सुनने के साथ परिवादों की विवेचना के दौरान अभिकथनों के मामले में अभिसूचना/साक्ष्य एकत्र करने का कार्य करता है, जिसके लिये शीर्ष गोपनीयता एवं पूर्वावधानियां आवश्यक है और ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में विवेचना की प्रारम्भिक अवस्था में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना दिये जाने से लम्बित परिवादों की विवेचना की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और चूंकि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अभिकरण राज्य सरकार के नियंत्रण के बाहर स्वतंत्र रूप से कार्य करती है,

अतएव, अब सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, सन् 2005) की धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल विनिर्दिष्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अभिकरण, जो राज्य के सतर्कता विभाग के अंग के रूप में कार्यरत एक विवेचना करने वाला अभिकरण है, पर उक्त अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से,

राजीव कुमार,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1679/XXXIX-4-2012-21-05, dated August 03, 2012:

No. 1679/XXXIX-4-2012-21-05
Dated Lucknow, August 03 , 2012

WHEREAS, Uttar Pradesh Lokayukta Agency is an organization set-up under the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1975 (U.P. Act no. 42 of 1975) and is the part of Vigilance Department of the Uttar Pradesh Government which *inter alia* functions to hear complaints against public-servants and during investigations of complaints collecting intelligence/evidence in the matter of allegations, require top secrecy and precautions and in the matter of such cases giving any information under the Right to Information Act, 2005 at the preliminary Stage of investigation would adversely affect the process of investigation in pending complaints;

AND WHEREAS, the Uttar Pradesh Lokayukta Agency functions independent of the control of the State Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers under sub-section (4) of section 24 of the Right to Information Act, 2005 (Act no. 22 of 2005), the Governor is pleased to specify that the provisions of the said Act shall not apply to the Lokayukta Agency of Uttar Pradesh which is an Investigating Agency working as a part of Vigilance Department of the State.

By order,
RAJIV KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 431 राजपत्र (हि०)–2012–(2450)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा० सतर्कता–2012–(2451)–100 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।

431R.P.H. DATA-8